राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–980/2006

समुन्द्र सिंह

–अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. कनिष्ठ अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, धीरदेसर पुरोहितान तह. श्री डूंगरगढ जिला बीकानेरं
3. सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, श्री डूंगरगढ जिला बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.01.2024

<u>उपस्थित –</u>

अपीलार्थी की ओर से : श्री ज्योतिष केलेथी, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की नियुक्ति पम्प चालक के पद पर हुई थी। बाद में अपीलार्थी को पम्प चालक–द्वितीय के पद पर पदोन्नति दी गई। अपीलार्थी का स्थानांतरण दिनांक 01.08.2001 को कनिष्ठ अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग श्री डूंगरगढ में किया गया। अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 01.08.2001 की अनुपालना में कितासर में अपना पदग्रहण 01.08.2001 को कर लिया था तब से लगातार अपना कार्य निष्ठा से कर रहा है। लेकिन अपीलार्थी को एक नोटिस दिनांक 13.3.2002 को अप्रार्थी सं. 2 का मिला जिसमें अपीलार्थी को 31.12.2001 से लगातार अनुपस्थित माना गया जबकि अपीलार्थी उपरोक्त पदस्थापन स्थान पर लगातार कार्य कर रहा है । इस हेतु समस्त ग्रामवासी कितासर ने एक अभ्यावेदन जप्रार्थी सं. 2 को दिया है, जिसमें सुचित किया कि दिनांक 31.12.2001 को अपीलार्थी उपस्थित था तथा लगातार उपस्थित रह रहा है। अपीलार्थी दिनांक 01.08.2001 से अपने पदस्थापन स्थान कितासर में लगातार उपस्थित चला जा रहा है। जब कभी अपीलार्थी छूट्टी पर गया है तो पूर्व सूचना के प्रार्थना– पत्र देकर गया है। लेकिन अप्रार्थीगण के द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 31.12.2001 से अनुपस्थित माना जा रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा अपीलार्थी को जनवरी 2002 से वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए

अपीलार्थी ने प्रार्थना की है कि अपीलार्थी को 31.12.2001 से निरन्तर सेवा में मानते हुए अपीलार्थी को जनवरी 2002 से सम्पूर्ण वेतन मय 18 प्रतिशत ब्याज दिलवाया जावे एवं अपीलार्थी को पुनरीक्षित वेतनमान नियम 1998 का लाभ मय ऐरियर 18 प्रतिशत ब्याज दिया जावे।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी की ड्यूटी दिनाक 22–2–2001 को ग्राम धनेरू में लगायी हुई थी। कनिष्ठ अभियन्ता रीडी द्वारा जलयोजना के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि अपीलार्थी पिछले कई दिनों से ड्यूटी पर उपस्थित नहीं रहा और इस सम्बन्ध में जल सप्लाई अवरूद्ध होने से ग्राम वासियों द्वारा शिकायत की गयी और कनिष्ठ अभियन्ता रीडी के पत्रांक 539 दिनांक 23–2–2001 द्वारा अपीलार्थी को अनुपस्थित रहने के कारण स्पष्टीकरण देने हेतु पत्र लिखा गया। उपखण्ड कार्यालय द्वारा भी रजिस्टर्ड पत्रांक 3504 दिनाक 24–2–2001 तथा रजिस्ट्री संख्या आर.एल. 507 दिनांक 22–2–2001 द्वारा अपीलार्थी को लिखा गया परन्तु उक्त पत्र पुनः प्रत्यर्थी कार्यालय में वापिस डाक विभाग द्वारा भिजवाया गया कि "समुद्र सिंह यहाँ पर नहीं है, इसलिये पत्र वापिस भेजा जाता है।" इससे जाहिर है कि अपीलार्थी ड्यूटी से स्वेच्छा से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहा है। कनिष्ठ अभियन्ता जल योजना रीडी द्वारा अनेक पन्न यथा पत्रांक 551 दिनांक 16–3–2001, पत्रांक 661 दिनांक 3–4–2001, सहायक अभियन्ता कार्यालय के पत्रांक 3504–08 दिनाक 24–2–2001, पत्रांक 82–84 दिनाक 11–4–2001 एवं पत्राक 209–212 दिनांक 24–4–2001 पत्रांक 323–325 दिनांक 5–5–2001 पत्रांक 525–28 दिनांक 25–5–2001 तथा अधिशासी अभियन्ता खण्ड सरदारशहर द्वारा पत्रांक 342 दिनांक 19–4–2001 इत्यादि द्वारा अपीलार्थी को लगातार ड्यूटी पर उपस्थित होने बाबत लिखा गया परन्तु अपीलार्थी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुआ। अपीलार्थी द्वारा एक टाईपशुदा पत्र दिनांक 15–5–2001 का दिनांक 22–2–2001 से पूर्व द्वारा अवगत करवाया गया कि उसकी माताजी की बीमारी एवं बाद में देहान्त होने के कारण अनुपस्थित रहना अवगत कराया परन्तु अपीलाथी कार्य पर उपस्थित नहीं हुआ। जब अपीलार्थी इतने पत्रों के बावजूद भी कार्य पर उपस्थित नहीं हुआ तब उपखण्ड कार्यालय द्वारा उसके विरुद्ध आरोप पत्र बनाकर खण्ड कार्यालय सरदारशहर को भेजा गया। खण्ड कार्यालय द्वारा आदेश क्रमांक 1257–59 दिनांक 29–5–2001 द्वारा अपीलार्थी का

स्थानान्तरण जल योजना धनेरू से कितासर पर अपीलार्थी की स्वयं की ईच्छा के आधार पर कर दिया गया था, जिस पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 7–6–2001 को धनेरू जल योजना पर उपस्थिति दी गयी थी। इस प्रकार अपीलार्थी दिनांक 22–2–2001 से दिनांक 6–6–2001 तक 105 दिन तक अनुपस्थित रहा। अपीलार्थी को कनिष्ठ अभियन्ता रीडी द्वारा पत्रांक 93–96 दिनांक 1–8–2001 द्वारा धनेरू से कितासर हेतु कार्यमुक्त किया गया था। इस बीच भी अपीलार्थी कई बार ड्यूटी से अनुपस्थित रहा। अपीलार्थी द्वारा जल योजना कितासर पर भी पूरी तरह से ड्यूटी नहीं की गयी तथा वह बार–बार अनुपस्थित रहा। सहायक अभियन्ता उपखण्ड द्वारा पत्राक 3503–04 दिनांक 22–1–2002 द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 31–12–2001 से ड्यूटी पर से अनुपस्थिति बाबत लिखा गया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 4–2–2002 को पत्र द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 31–12–2001 को वह "प्रशासन गाँवों की ओर" शिविर में उपस्थित था। उसने कुछ ग्रामीणों से एकराय करके अपने आपसी मेलजोल से हस्ताक्षर कराकर अपनी उपस्थिति बतायी। जबकि कनिष्ठ अभियन्ता डी.पी. एवं सहायक अभियन्ता की जाँच के दौरान अपीलार्थी ड्यूटी पर नहीं मिला एवं सरपंच कितासर द्वारा भी अपीलार्थी को अनुपस्थित बताया गया। अपीलार्थी दिनांक 31–12–2001 से लगातार अनुपस्थित रहने के दौरान भी अपने आपको उपस्थित बताता रहा, जबकि उपखण्ड कार्यालय द्वारा पत्रांक 4073 दिनांक 14–3–2002 के द्वारा उसे टेलिग्राम भी भेजा गया था परन्तु अपीलार्थी द्वारा ड्यूटी पर उपस्थित होना तो दूर उसके द्वारा दिनांक 11–4–2002 को अधिवक्ता के माध्यम से अपने आपको ड्यूटी पर उपस्थित बताते हुए वेतन भत्ते दिलवाने हेतु लिखा जाकर उपखण्ड कार्यालय पर दवाब बनाया गया। कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा भी पत्रांक 261 दिनांक 13–3–2002 द्वारा भी अपीलार्थी को कार्य पर उपस्थित होने बाबत लिखा गया परन्तु अपीलार्थी ड्यूटी पर उपस्थित ही नहीं हुआ। उपखण्ड कार्यालय द्वारा भी पत्रांक 331–33 दिनांक 30–4–2002 द्वारा अपीलार्थी को पुनः ड्यूटी पर उपस्थित होने बाबत लिखा गया। दिनांक 30–4–2002 को ही अपीलार्थी द्वारा पुनः अधिवक्ता द्वारा ही वेतन व भत्ता प्राप्ति हेतु अपने को ड्यूटी पर बताया जाकर नोटिस भिजवाया गया तथा पूर्व नोटिस दिनांक 11–4–2002 का जवाब भी प्रत्यर्थी विभाग से मांगा गया परन्तु अपीलार्थी ड्यूटी पर उपस्थित ही नहीं हुआ तथा दिनांक 31–12–2001 से निरन्तर

अनुपस्थित रहा। खण्ड कार्यालय बीकानेर में दिनांक 1–4–2002 से शामिल होने पर अपने पत्रांक 1088–89 दिनांक 4–5–2002 को अन्तिम नोटिस अपीलार्थी को ड्यूटी पर उपस्थित होने हेतु भेजा गया एवं उपखण्ड कार्यालय द्वारा भी अपने पत्रांक 273 दिनांक 6–5–2002 द्वारा भी अपीलार्थी को पत्र उपस्थित होने बाबत लिखा गया। खण्ड कार्यालय द्वारा अपने पत्रांक 1088–89 दिनांक 4–5–2002 द्वारा राज्यस्तर के समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर में अपीलार्थी को ड्यूटी पर उपस्थित होने बाबत नोटिस (विज्ञप्ति) प्रकाशित करवायी गयी, परन्तु अपीलार्थी की ओर से न तो कोई जवाब प्राप्त हुआ न ही अपीलार्थी ड्यूटी पर उपस्थित हुआ। अपीलार्थी वर्ष 1994 से ही बार–बार अनुपस्थित रहने का आदी रहा है। इस प्रकार अपीलार्थी उपरोक्तानुसार दिनांक 31–12–2001 से लगातार अनुपस्थित है। उसके अधिवक्ता ने भी मिथ्या कथन नोटिस द्वारा प्रस्तुत किए तथा अपीलार्थी के बार–बार अनुपस्थित रहने पर भी अपने आप को ड्यूटी पर बताकर मिथ्या अभिवचन प्रस्तुत किए हैं तथा अपीलार्थी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हो रहा है। प्रत्यर्थी कार्यालय के पत्रांक 3820 दिनांक 6–2–2002 द्वारा अपीलार्थी की लगातार अनुपस्थिति के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही राजस्थान असैनिक सेवा नियम (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन आरोप पत्र बनाकर खण्ड–1 कार्यालय बीकानेर को प्रेषित किया गया। जाँच अधिकारी के पत्रांक 971 दिनांक 3–8–2005 द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध जाँच कर रिपोर्ट अधिशासी अभियन्ता को प्रषित की गयी, जिसमें जाँच अधिकारी द्वारा कई बार मौके पर जाकर जाँच की गयी, जिसमें अपीलार्थी एक बार भी जाँच अधिकारी को मौके पर नहीं मिला तथा मौके पर मिले अन्य लोगों द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी ड्यूटी का पाबन्द नहीं रहा है। अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी माननीय अधिकरण से किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है।

3. हमनें दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार किया।

4. अपीलार्थी का मुख्य रूप से कथन रहा है कि अपीलार्थी दिनांक 31.12.2001 तक निरंतर सेवा में रहा है। उसे गलत रूप से अनुपस्थित मानते हुए उसका जनवरी, 2002 से वेतन रोका गया है। प्रत्यर्थी विभाग का यह कथन रहा है कि अपीलार्थी 31.12.2001 से लगातार अनुपस्थित रहा है,

फिर भी वह अपने आपको इस दौरान उपस्थित बता रहा है। अपीलार्थी को बार–बार स्पष्टीकरण देने हेतु पत्र लिखा गया और अपीलार्थी की अनुपस्थिति के संबंध में जांच भी गई है।

5. पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को अनुपस्थित होना माना है और समय–समय पर उसे पत्र भी प्रेषित किये हैं। अपीलार्थी के विरूद्ध जांच भी की गई है, जिस जांच की रिपोर्ट प्रत्यर्थी विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई है। जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया है कि कर्मचारी आदतन अनुपस्थित रहता है। वह ड्यूटी के प्रति लापरवाह था। अपीलार्थी को दिनांक 31.12.2001 से अनुपस्थित माने जाने में हम कोई त्रुटि होना नहीं पाते है।

6. परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)